न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–002/2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः– 136 एल.आर.एक्ट

भानीराम पुत्र सुलतान राम जाति सुथार निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ।

–: प्रार्थी

बनाम्

1 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ
2 एसबीआई बैंक शाखा खुंजा जरिये शाखा प्रबन्धक

–: अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री मदन लाल सुथार – अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राज पैरोकार – प्रतिवादी सं. 1

–ःआदेशः–

दिनांक ....

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 15 एल.एल.डब्ल्यू. ए खाता सं. 59/50 में तादादी 5.060 है., इसी चक के खाता सं. 47/41 तादादी 2.277 है. में हिस्सा 1/3 व चक 12 एल.एल.डब्ल्यू खाता सं. 107/100 तादादी 2.530 है. में हिस्सा 1/3 व चक 13 एल.एल.डब्ल्यू खाता सं. 62/54 तादादी 1.265 है. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भानीराम पुत्र सुलतान राम दर्ज है जबकि उक्त खातों की जमाबंदियों में भानुप्रकाश पुत्र सुलतान राम दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम भानीराम पुत्र सुलतान राम है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती कर प्रार्थी को अनुतोष प्रदान किया जावें। साक्ष्य के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र किए गए है। प्रार्थी द्वारा उक्त खातों में दर्ज भानुप्रकाश की जगह भानीराम दुरूस्त किए जाने का अनुतोष अपने प्रार्थना पत्र में चाहा है।

≈ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तहसीलदार हनुमानगढ से मौका व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./2023/3742 दिनांक 06.10.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त रकबे का हवाला देते हुए अंकित किया गया है कि खातेदार भानुप्रकाश एवं भानीराम एक ही व्यक्ति के नाम है एवं हल्का पटवारी की दैनिक डायरी उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न की है। शामिल मिसल शपथ पत्र नंदलाल पुत्र सोहन लाल निवासी जोड़कियां, सतपाल शर्मा पुत्र भानीराम जाति ब्राम्हण जोड़किया, रामेश्वर लाल पुत्र रूपराम जोड़कियां जिसमें भी भानुप्रकाश व भानीराम को एक व्यक्ति होने का अंकन किया गया है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड मतदाता पहचान पत्र का अवलोकन किया गया जो भानीराम पुत्र सुलतान राम की पुष्टि करते है। बहस वकील/राजपैरोकार उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–ःःक्रियान्विति आदेशःः–

अतः प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ निर्णित किया जाता है किः– चक 15 एल.एल.डब्ल्यू. ए खाता सं. 59/50 में तादादी 5.060 है., व इसी चक के खाता सं. 47/41 तादादी 2.277 है. में हिस्सा 1/3 व चक 12 एल.एल.डब्ल्यू खाता सं. 107/100 तादादी 2.530 है. में हिस्सा 1/3 व चक 13 एल.एल.डब्ल्यू खाता सं. 62/54 तादादी 1.265 है. में दर्ज खातेदार भानुप्रकाश पुत्र सुलतान राम की जगह **भानीराम पुत्र सुलतान राम** दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे व इसी अनुसार अमलदरामद कर राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो आदेश की पालना की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– प्रश्नगत रकबा रहन हो तो, बाद रहन मुक्ति के आदेश की पालना की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 21:05:14 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ